EXECUTIVE SUMMARY OF THE MINOR RESEARCH PROJECT IN HINDI

MAY 2015 - MAY 20I7

Ref: 1824/ MRP /14-15/KLM G009/UGC-SWRO

TOPIC OF THE PROJECT :

समकालीन हिंदी महिला कहानीकारों की कहानियों में अभिव्यक्त मानवाधिकार

(Human Rights Depicted in the Contemporary Hindi Short stories

Written by Woman Writers)

by

Dr.RADHAMANI.C

मानव अधिकार वे तमाम अधिकार जो मानव होने के नाते मानव को मिलना चाहिए | डॉ. बिन्देश्वर के अनुसार मानवाधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक मनुष्य के जन्मजात अधिकार है – वह चाहे किसी देश- निवास स्थान का हो और चाहे स्त्री हो या पुरुष , ये सभी अधिकार एक दूसरे से संबद्ध हैं एक दूसरे पर निर्भर और अविभाज्य है |(मानवाधिकार और नयी दिशाएँ , अंक 2010, पृ.14) समाज में स्त्रियों के विकास और उन्नति में मनावाधिकार एक औज़ार की तरह है | मनुष्य होने के नाते स्त्री को अधिकार मिलना चाहिए , वही अधिकार स्त्री का मानवाधिकार है |समकालीन हिंदी महिला कहानीकारों की चयनित कहानियों में स्त्रियों के मानवाधिकार संबंधी जिन - जिन बातों का उल्लेख हुआ है, उसका अध्ययन ही इस लघु शोध परियोजना का उद्देश्य था | इसके लक्ष्य थे -

- मानवाधिकार और स्त्री मानवाधिकार के महत्त्व का प्रतिपादन करना
- साहित्य और मानवाधिकार का अन्तर्संबंध की चर्चा करना
- हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में मानवाधिकार के चित्रण का अध्ययन करना
- समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में चित्रित मानवाधिकार का सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ की खोज करना
- समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में चित्रित मानवाधिकार :पारिवारिक सम्बन्ध का उल्लेख करना |
- समकालीन दलित स्त्री कहानीकारों की कहानियों में चित्रित मानवाधिकार का अध्ययन करना |

- समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में मानवाधिकार :संघर्ष और प्रतिरोध का अन्वेषण करना |

प्रस्तुत परियोजना को पाँच अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है |वे हैं –

I . मानवाधिकार और साहित्य

II. स्त्री का मानवाधिकार और और साहित्य की विभिन्न विधाएँ

III. समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में चित्रित मानवाधिकार का सामाजिक -सांस्कृतिक सन्दर्भ

IV . समकालीन दलित - आदिवासी महिला कहानीकारों की कहानियों में मानवाधिकार की अभिव्यक्ति

V . समकालीन महिला कहानिकारों की कहानियों में मानवाधिकार : संघर्ष और प्रतिरोध

स्त्री के मानवाधिकार की समस्या या स्थिति को विभिन्न कोनों से देखने का प्रयास इस अध्ययन में हुआ है |स्त्री विमर्श के समान स्त्री के मानवाधिकार का चित्रण मृदुला गर्ग ,उषा प्रियंवदा,चित्रा मुद्गल ,नमिता सिंह ,मृदुला सिन्हा ,वंदना शुक्ला. सुषमा मुनीन्द्र ,मेहरुन्निसा परवेज़ ,निर्मला सिंह ,जया जादवानी, उर्मिला शिरीष , ग्रेज़ कुजूर, सुशीला टाकभौरे, अनिता भारती , रजत रानी मीनू ,सुशीला टाकभौरे आदि अनेक महिला कहानीकारों ने किया है |उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा समाज में स्त्री का चित्रण अधिकार से वंचित तथा मानवाधिकार के लिए लड़नेवाली नायिकाओं के रूप में भी किया है |उनकी कहानियों में स्त्री का विविध रूप देख सकते हैं |**पिता रक्षति कौमारे ,भरता रक्षति यौवने ,पुत्रो रक्षति वार्धक्ये** जैसी उक्तियों से ही स्त्री का अधिकार कितना है, यह समझ सकते हैं |छोटी बच्ची का अधिकार, पत्नी का अधिकार ,वृद्धावस्था में स्त्री का अधिकार,कामकाजी महिला का अधिकार ,माँ का अधिकार ,दलित स्त्री का अधिकार, आदिवासी स्त्री का अधिकार,लघु संस्कृति की स्त्रियों का अधिकार आदि अनेक अधिकार संविधान ने स्त्री के लिए बनाया है |महिला साहित्यकार भी समाज को जागृत करने के उद्देश्य से अपनी रचनाओं में अधिकार

से वंचित स्त्रियों का चित्रण करती हैं |स्त्री को समता,स्वतंत्रता और शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार पुरुषों के समान मिला है | लेकिन इससे भी वह वंचित रहती है | महिलाओं के प्रति होनेवाले अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है |भारत सरकार **बेटी बचाओ ,बेटी पढाओ** जैसे नारों से जनता को जागृत कर रही है | लड़कियों पर हिंसा का वन्य या नृशंस रूप है भ्रूण हत्या |आजकल कोख में ही बच्चे का लिंग जानने की सुविधा है |लिंग जानने से लड़की हो तो उसे एबॉर्शन करा देते हैं |यह कानूनी अपराध और जीने के अधिकार का उल्लंघन भी है |नासिरा शर्मा की एक कहानी है 'अपनी कोख में' |लड़की होने के नाते जीने का अधिकार भी खो जाने का चित्र नासिरा जी ने सादगी एवं तल्खियत के साथ इसमें खींचा है |इस कहानी की साधना गर्भवती होने पर सासु माँ ने उस बच्ची को मारने का आदेश दिया था |पर साधना सोचती है कि"लड़के-लड़कियों में भेदभाव करनेवाला यह समाज तब तक बलवान बना रहेगा ,जब तक नारी उसके इशारे पर चलती है |कोख उसकी है ,वह चाहे तो बच्चा पैदा करें और न चाहे तो न पैदा करें |चयनकर्ता वही है |अगर वह मर्दों को पैदा करना बंद कर दें तो इस समाज का क्या होगा |कहानी में माँ बनने और लड़की को पैदा करने के स्त्री के अधिकार को व्यक्त किया गया है |

पुरुष और स्त्री की सृष्टि मानव जीवन की सम्पूर्णता के लिए हुई है |एक के बिना दूसरा अधूरा या अधूरी है |अधूरेपन में समाज का विकास नहीं हो सकेगा|डॉ.हरिश्चंद्र व्यास के मत में "वस्तुत: नारी और पुरुष की पूर्णता का प्रतीक समाज का विकास है ,जिसमें पुरुष से अधिक नारी का हिस्सा होता है |वह केवल पुरुष की जननी ही नहीं उसकी पालक भी है लेकिन समाज रूपी साम्राज्य में पुरुष सत्ताधारी है |स्त्री माँ है, बहिन है ,पत्नी है और पुरुष के इशारे पर चलनेवाली गुलाम के रूप में रहनेवाली है |पाषाण युग से लेकर आज के तकनीकी युग में भी स्त्री की दशा में ज्यादा तब्दीली नहीं आयी |स्त्री अबला है ,सर्वमसहा है, पति की पुरोगामिनी है ,जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अधिकार जानते हुए भी इससे वंचित जीवन जीने के लिए विवश है | स्त्री आज समाज में बिक्री की वस्तु बन गयी है | पुरुष को बिकने के लिए कोई नहीं है |विज्ञापन में देखिये पुरुष पूरा वस्त्र पहनकर दिखता है तो स्त्री

देह में ज़रा सा कपडा भी अधिक है |स्त्री पैसे के लिए अपना इज्जत बिकती है |ऐसी स्त्रियाँ हमारे समाज में "सेलिब्रिटी" हैं | ऐसी स्त्रियाँ अपने अधिकार अच्छी तरह जानती हैं,पर "यशसो धर्मो अर्थ कृते "के कारण मानवाधिकार जानकर भी अनजान करके बैठती हैं |

स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार पुरुष के सामान स्त्री को भी है |लेकिन पुरुष केन्द्रित समाज ने विवाहिता होकर, माँ बनकर परिवार की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर थोप दी है |नमिता सिंह की **बन्दों** कहानी में बन्दों के शराबी पिता जुए के कर्ज चुकाने के लिए उसे शराबी गुंडा बलवीर के साथ भेज देता है |वह बाप की आज्ञा का पालन करती है और बलवीर की पत्नी के रूप में उसके साथ रहती है |बलवीरा की मृत्यु के बाद सास उसके भाई को बन्दों के पास भेज देती है | पति के रहने पर भले ही उसे शारीरिक सुख न मिला हो फिर भी वह यह अनुचित समझती है |देवर शादीशुदा है | देवरानी ज़िंदा है | वह दूसरी स्त्री का अधिकार छीनना नहीं चाहती |इसलिए वह देवर को समझा बुझाकर उसकी पत्नी के पास भेजती है | यहाँ बन्दों के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है | स्त्री की आत्मनिर्भरता और इज्जत के साथ जीने के अपने अधिकार और सामर्थ्य को कहानी में प्रस्तुत किया गया है |

स्त्री के लिए मानवाधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार है हिंसा से स्वयं का बचाव| हिंसा के अन्तर्गत बलात्कार भी है | 1983में आपराधिक क़ानून में बलात्कार के सामान्य मामलों में सात साल तक की सजा का प्रावधान है |चित्रा मुद्गल,नासिरा शर्मा जैसी कहानी लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में स्त्री के साथ होनेवाले शारीरिक उत्पीडन का चित्रण किया है |चित्रा मुद्गल की **प्रेतयोनि** कहानी की नायिका है अनीता गुप्ता |एक टैक्सी ड्राइवर ने उसका बलात्कार करने की कोशिश की |अनीता नारी के अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से सजग औरत थी |वह पुलिस स्टेशन में जाकर एफ. आई . आर दर्ज करवाती है |उसके कॉलेज की सहछात्राएँ जुलूस निकालती है |इस कहानी के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि क़ानून भी स्त्री की सहायता के लिए मौजूद है |स्त्री के साथ होनेवाले घरेलू अन्याय के विरुद्ध भी 2005 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है | उर्मिला शिरीष की कहानी "चीख "में लड़की बलात्कार की वजह से आत्महत्या करने का निश्चय करती है

|क्योंकि लड़की घरवालो की इज्जत का सवाल बन जाती है |वह उनसे पूछती है क-"मेरी मौत से आप लोगों की इज्जत बच सकती है ?मुझसे तो पूछो कि इसमें मेरा क्या दोष है ?मुझे अपने ही शरीर से कितनी घिन लगती है |" यहाँ लड़की अपने सामाजिक न्याय का अधिकार मांगती है |

घरेलू अधिकार का एक हिस्सा है दहेज़ न देना और लेना | शादी के अवसर पर अपने आप को प्रगतिशील ,आदर्शवादी सुशिक्षित दिखाने के लिए दहेज़ कानूनन अपराध कहकर नहीं मांगते हैं |लेकिन विवाह के पश्चात् स्थिति बदल जाती है |भारत में यह हालत हम अक्सर देखते हैं |दहेज़ की वजह से नववधू की मृत्यु की खबर अक्सर अखबारों और दृश्य श्रव्य – माध्यमों में हम देखते- सुनते- पढ़ते हैं | उषा महाजन की "बेटी "नामक कहानी की नायिका निक्की दहेज़ प्रथा की शिकार है | निक्की के ससुरालवाले कहते हैं कि"हम ने सोचा कि आनेवाली बहु खुद ही सजाएगी इसे अपनी पसंद से.... हमने तो बहु के लिए हीरे की अंगूठी बनवाई है सगाई के लिए ,वैसे आप लोग सोना वगैरह किस ज्वेलर से खरीदते हैं ?.....कार तो लड़के को लेनी ही लेनी है ;लेकिन सोचा शादी पर दोनों अपनी पसंद से...देखिए जी हम और कुछ नहीं मांग रहे ,पर शादी धूमधाम से होनी चाहिए हमारा तो एक ही बेटा है |"लेकिन निक्की अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी | इसका विरोध करना उसने शुरू किया तो उसका शारीरिक और मानसिक शोषण का सिलसिला जारी होने लगा | वह बहुत बुरी हालत में मैके लौट आई |उस समय वह गर्भवती थी |उस परिवार के वारिस को अपनी कोख में लादना भी वह नहीं चाहती |पर उसकी माँ ने उसे समझाया कि "माँ बनना स्त्री-देह की सबसे बड़ी उपलब्धि है ,सबसे बड़ी शक्ति ,सबसे जुदा अनुभूति है |"माँ के अनुसार बेटा है तो ससुराल वाले लेने के लिए आ जायेंगे |लेकिन लड़की होने के कारण निक्की भी आश्वस्त करती है | इस कहानी के ज़रिये उषा महाजन ने दहेज़ प्रथा,लिंगभेद ,स्त्री भ्रूण हत्या आदि विभिन्न मानवाधिकारों के विभिन्न मुद्दों को एक ही कहानी में दिखाने का प्रयास किया है |उषा महाजन की मानवाधिकार से सम्बंधित कहानियाँ हैं **मुआयना,निर्णय, वह एक लड़की ,अहल्या यह भी तो ,सच तो यह है** आदि | उषा जी की स्त्री गुलाम बनना नहीं

चाहती, वह केवल मानव होकर जीने का अधिकार चाहती है | अपने हिस्से का अधिकार चाहती है |

समता का अधिकार स्त्री और हशियेकृत लोगों के लिए संविधान ने लागू किया है |नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के कई अधिकार प्रदत्त हैं |धारा(1)15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ मात्र धर्म प्रजाति,जाति,लिंग ,स्थान या इन में से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा | लेकिन भारतीय समाज में क्या हो रहा है |आज के युग भूमण्डलीकरण, बाजारीकरण ,नई तकनीकी आदि नये नये नामों से जनता को पुलकित करते रहते हैं| इससे जनता के अधिकार बहुराष्ट्र कम्पनियाँ तथा पूंजीपति लोग छीन लेते हैं | खोये हुए अधिकार वापस मिलने के लिए लड़ने का अधिकार भी आम जनता को नहीं है |इसके फलस्वरूप ही मावोवाद जैसे अनेक वाद उभर आते हैं | समकालीन दलित कहानी लेखिकाओं की कहानियो में स्त्री ही नहीं दलित स्त्री अपने अधिकार के लिए सजग होने का चित्र हम देख सकते हैं |सुशीला टाकभौरे, कुसुम मेघवाल,रमणिका गुप्ता ,अनिता भारती,रजतरानी मीनू आदि दलित कहानीकार अपने समाज के लोगों की दुस्थिति पर कहानियाँ लिखकर उनके मन में प्रतिरोध की भावना तथा अपने अधिकार के प्रति सजगता दिलाने का प्रयास करती रहती हैं | सुशीला टाकभौरे की **सिलिया** कहानी की सिलिया पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खडी रहना चाहती है |मानवाधिकार से वंचित समाज की होने पर भी वह पढ़ - लिख कर समाज में मुख्य स्थान प्राप्त करती है | रमणिका गुप्ता की **दाग दिया सच** में सवर्ण लड़की मालती से प्रेम करने वाले महावीर की जान सवर्ण लोगों ने ईंट पत्थरों से मार मारकर ले लेते हैं |उन लोगों ने महावीर के पिता से जबरन कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया था,जिसमें लिखा था कि अपने बेटे को मैंने स्वयं मार दिया है |दलित कहानियों में संविधान द्वारा लागू किये गए शिक्षा का अधिकार ,समता का अधिकार ,स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार आदि के लिए लड़ने का चित्र तीक्ष्णता के साथ उकेरा गया है |कुसुम मेघवाल की कहानी **अंगारे** में दलित स्त्री का प्रतिरोध ही नहीं स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार से वंचित स्त्री अंगारे के सामान भभकने का चित्र अंकित है | स्त्रीत्व पर कलंक डालनेवाले पुरुष को भारत के कानून भी अब छोड़ देने का दृश्य हम देख रहे हैं |

वेश्या वृत्ति को हमारा समाज एक जटिल समस्या मानता है | पर सरकार ने इसके लिए भी कानूनन अधिकार दिया है |एक स्त्री अपनी इच्छा से देहव्यापार के लिए नहीं आती |उसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था उसे इस काम करने के लिए विवश करा देती है |चित्रा मुद्गल की **फातिमा बाई कोठी पर नहीं रहती** कहानी में बम्बई महानगर के रेड स्ट्रीट में वेश्या वृत्ति करनेवाली लड़की की कहानी है |वह लाइसेंस के जरिये ही धंधा करती है | वह कहती है कि "यहाँ गैर कानूनी धंधा नहीं होता ,हम लड़की बाद में लेते,लाइसेंस पहली बनवा लेते |"

मानवाधिकार और स्त्री मानवाधिकार के महत्त्व के प्रतिपादन के साथ साहित्य और मानवाधिकार का अन्तर्संबंध की चर्चा करना, हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में मानवाधिकार के चित्रण का अध्ययन करना ,समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में चित्रित मानवाधिकार का सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ की खोज करना ,समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में चित्रित मानवाधिकार :पारिवारिक सम्बन्ध का उल्लेख करना ,समकालीन दलित स्त्री कहानीकारों की कहानियों में चित्रित मानवाधिकार का अध्ययन करना ,समकालीन महिला कहानीकारों की कहानियों में मानवाधिकार के लिए संघर्ष और प्रतिरोध का अन्वेषण करना इस शोध परियोजना का लक्ष्य था | महिला कहानीकारों की कहानियों के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय समाज में स्त्रियाँ अक्सर अपने अधिकारों से वंचित हैं | महिला कहानीकारों ने अपनी कहानियों में स्त्री का अधिकार पर विशेषकर समानता, आत्मनिर्भरता,स्वतंत्रता ,शिक्षा पाना ,मानव होकर जीना ,आदि अनेक, अधिकाओं को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का सराहनीय कार्य किया है |समाज में स्त्री आज भी स्वतंत्रता समता आदि के लिए लडती रहती है |इस तरह स्त्रियों को अपने अधिकार की बातों को समझाने के लिए हिंदी की महिला कहानीकारों का योगदान महत्वपूर्ण हैं |स्त्री अबला नहीं सबला है ,खोये अधिकार के लिए लड़नेवाली है | आगे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर स्त्री का कर्तव्य है |पुरुष वर्चस्ववादि समाज में जीने के

लिए अपना अधिकार जानकर इस के लिए नाख़ून और दांत का प्रयोग करना है और अधिकार के लिए लड़ना है |यही सन्देश अपनी कहानियों द्वारा देने में समकालीन हिंदी महिला कहानीकार सफल निकली हैं|

****